प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

दांडिक याचिका (विविध) क्रमांक/ 01 / 2009

ओम प्रकाश सिंह ..... याचिकाकर्ता

बनाम

छ.ग. राज्य ..... उत्तरवादी

(द. प्र. स. की धारा 482 के तहत याचिका)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री विष्णु कोष्टा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री वैभव गोवेर्धन, पैनल अधिवक्ता

मौखिक निर्णय

(3-11-2011 को पारित)

1. यह याचिका दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो दिनांक 11.11.2008 को दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 288/08 में पारित आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा माननीय मजिस्ट्रेट ने भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 467 एवं 120-ख के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने से पूर्व, विवाद के निर्णय हेतु आवश्यक प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों जिसका उल्लेख करना आवश्यक है, इस प्रकार हैं :

नूरो बाई द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उसकी भूमि संपत्ति को उसके नाम से कूटरचित विक्रय विलेख तैयार कर विक्रय कर दिया गया है। यह आरोप लगाया गया कि उक्त महिला की भूमि उसके पुत्र शत्रुघन द्वारा सह-अभियुक्त बसंत यादव के पास बंधक रखी गई थी और बार-बार पूछने पर पुत्र उसे यही बताता रहा कि उसने भूमि बसंत के पास बंधक रखी है। बाद में, नूरो बाई को गांव के लोगों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि वास्तव में उसकी संपत्ति पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से बसंत के पक्ष में विक्रय कर दी गई है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि उसने कभी भी कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया तथा उसके अंगूठे के निशान कूटरचनाकर बसंत के पक्ष में एक कूटरचित विक्रय विलेख तैयार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में अभियोजित नहीं किया, अपितु केवल अभियोजन साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया और याचिकाकर्ता का कथन केस डायरी में दर्ज किया गया। ऐसा हुआ कि सह-अभियुक्त गडाराम द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन, एम. सी. आर. सी. क्रमांक 962/08 की सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए यह अवलोकन किया कि प्रकरण की परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि याचिकाकर्ता भी प्रथमदृष्टया कथित अपराध के संपादन में संलिप्त है तथा वह फर्जी रजिस्ट्री का पक्षकार रहा है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि विवेचना अधिकारी को तहसीलदार के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी चाहिए थी, किन्तु उसे

किन कारणों से छोड़ दिया गया वह ही बता सकता है। इस न्यायालय ने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, रायपुर को भेजने तथा संबंधित विवेचना अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने एवं आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देशित किया।

आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, जिसमें शत्रुघन, बसंत एवं गडाराम को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया, प्रकरण को दिनांक 11.11.2008 को आरोप विरचन हेतु लिया गया। आरोप-पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात्, विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह पाया कि प्रथमदृष्टया आरोप-पत्र से यह प्रकट होता है कि रजिस्ट्री दस्तावेज एक कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज है, जिसमें नूरो बाई महिला का फोटो चिपकाया गया है, जबकि विक्रय विलेख तथा रजिस्टर में पाए गए अंगूठे के निशान नूरो बाई के नहीं हैं, बल्कि मजिस्ट्रेट द्वारा यह पाया गया कि उक्त अंगूठे के निशान उसके पुत्र शत्रुघन के हैं। उक्त आधार पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह पाया कि विक्रेता एवं क्रेता की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करना पंजीयन अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य है और इस प्रकार याचिकाकर्ता प्रथमदृष्टया मूल्यवान प्रतिभूति के कूटकरण के अपराध में संलिप्त प्रतीत होता है। इन्हीं आधारों पर तथा सह-अभियुक्त गडाराम के जमानत आवेदन में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 467 एवं 120-ख के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने संबंधी उपर्युक्त आदेश को चुनौती देते हुए जोरदार रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप, यदि उनके प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किए जाएँ, तो स्पष्टतः यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता पर जिस अपराध का आरोप लगाया गया है, वह उसके द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया बताया गया है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध अभियोजन स्वीकृति के अभाव में अपराध का संज्ञान लिया जाना विधि द्वारा वर्जित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों को विस्तार देते हुए यह प्रस्तुत किया कि आरोपों से यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता ने एक सार्वजनिक दस्तावेज का पंजीयन किया, जो कथित रूप से कूटरचित था। आरोप यह हैं कि संबंधित महिला उपस्थित नहीं थी तथापि उसके फोटो को दस्तावेज पर चिपकाया गया तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अंगूठे के निशान लगाए गए, जिन्हें महिला नूरो बाई के अंगूठे के निशान के रूप में प्रदर्शित किया गया, और तत्पश्चात याचिकाकर्ता द्वारा उक्त दस्तावेज का पंजीयन किया गया। इससे स्वयं यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता पर यह आरोप है कि उसने उप-पंजीयक के रूप में कार्य करते हुए अपने कार्यालय में कथित कूटरचित दस्तावेज का पंजीयन किया। अतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह स्पष्ट रूप से उप-पंजीयक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अपराध किए जाने का आरोप है। यह आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने उक्त दस्तावेज किसी अन्य स्थान पर तैयार किया या रिश्वत लेकर अथवा अन्य किसी परिस्थिति में कथित कूटरचित दस्तावेज अस्तित्व में लाया। अतः वर्तमान प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति की अनिवार्य आवश्यकता पूर्णतः लागू होती है, जिसके अभाव में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता था। अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों **अब्दुल वहाब अंसारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**[1], **संकरन मोइत्रा बनाम साधना दास एवं अन्य**[2] तथा **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम परस नाथ सिंह**[3] पर भरोसा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] AIR 2000 SC 3187
[2] AIR 2006 SC 1599
[3] 2009 AIR SCW 3712

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार से कथित अपराध कारित किए गए हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधित महिला कभी भी पंजीयक के समक्ष उपस्थित नहीं हुई, तथापि याचिकाकर्ता द्वारा पंजीकृत सभी दस्तावेजों में उक्त महिला का फोटो चिपकाया गया है तथा उन पर अंगूठे के निशान अंकित हैं, जो विवेचना के दौरान प्रथमदृष्टया अन्य सह-अभियुक्त शत्रुघन के पाए गए हैं, न कि उक्त महिला नूरो बाई के। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो प्रथमदृष्टया अभियोजन का मामला स्थापित करती है। विक्रय विलेख में अंकित कोई भी अंगूठे का निशान महिला नूरो बाई का नहीं है। इस न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया कि संधारित रजिस्टर में भी नूरो बाई का नाम दर्ज है, किंतु उस पर अंकित अंगूठे के निशान अन्य सह-अभियुक्त शत्रुघन के पाए गए हैं, जिससे प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि महिला कभी भी पंजीयक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई थी और महिला के नाम पर उसका फोटो चिपकाकर एक फर्जी दस्तावेज याचिकाकर्ता द्वारा पंजीकृत किया गया। उप-पंजीयक के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति के दृष्टिगत, जिसमें पंजीयक को विक्रेता एवं क्रेता के रूप में उपस्थित पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति तथा उनकी सहमति का सत्यापन करना आवश्यक होता है, याचिकाकर्ता द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर कूटकरण का कृत्य किए जाने का प्रथमदृष्टया मामला स्थापित होता है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हो, क्योंकि किसी फर्जी दस्तावेज का पंजीयन करना याचिकाकर्ता के कर्तव्यों का कोई अंग नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. अभियोजन का आरोप, जैसा कि आरोप-पत्र तथा उसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों से परिलक्षित होता है, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने नूरो बाई द्वारा बसंत कुमार के पक्ष में निष्पादित बताई गई विक्रय विलेख का पंजीयन किया था। नूरो बाई ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने कभी कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया तथा विक्रय विलेख पर उसके अंगूठे के निशान भी अंकित नहीं हैं और उक्त दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अंगूठे के निशान लगाकर निष्पादित किया गया है। विवेचना के दौरान यह उद्घाटित हुआ कि विक्रय विलेख में नूरो बाई का फोटो चिपकाया गया है, किन्तु हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि विक्रय विलेख तथा संधारित रजिस्टर में अंकित चारों अंगूठे के निशान उक्त महिला के नहीं हैं, बल्कि वे अन्य सह-अभियुक्त शत्रुघन के अंगूठे के निशानों से मेल खाते हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन के आरोप निराधार अथवा तुच्छ हैं। विक्रय विलेख के पंजीयन के दौरान पंजीयक द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, यह प्रथमदृष्टया सामग्री कि अंगूठे के निशान महिला के नहीं थे जबकि उसका फोटो दस्तावेज पर चिपकाया गया था, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का समर्थन नहीं करती कि उसके द्वारा किया गया कार्य उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के अंतर्गत था। अतः यह आरोप कि याचिकाकर्ता भी कथित कूटकरण के कृत्य में संलिप्त था, पूर्णतः निराधार नहीं कहा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अतः विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए उपर्युक्त आरोपों के आलोक में, क्या वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत संरक्षण का अधिकारी है, जिसके अंतर्गत कथित अपराध के लिए उसके विरुद्ध विचारण प्रारंभ किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की वैध अभियोजन स्वीकृति अनिवार्य होती है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **अब्दुल वहाब अंसारी** (पूर्वोक्त) **एवं संकरन मोइत्रा** (पूर्वोक्त) के मामलों पर रखा गया आश्रय

अनुचित है। उन प्रकरणों में जिस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में संबंधित लोक सेवक द्वारा अपराध किए जाने का आरोप था, वह वर्तमान मामले से सर्वथा भिन्न है। **अब्दुल वहाब अंसारी** (पूर्वोक्त) के मामले में धारा 197 के अंतर्गत संरक्षण इस पृष्ठभूमि में मांगा गया था कि एक पुलिस अधिकारी अतिक्रमण हटाने तथा आंदोलन नियंत्रित करने हेतु घटनास्थल पर गया था और कर्तव्य निर्वहन के दौरान गोली चलाई गई, जिससे कुछ लोग घायल हुए तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न उठा था कि क्या लोक सेवक संरक्षण प्राप्त करने का हक़दार है। इसी प्रकार **संकरन मोइत्रा** (पूर्वोक्त) के मामले में भी घटना की पृष्ठभूमि यह थी कि याचिकाकर्ता पर चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते समय अपराध करने का आरोप था और आरोप यह था कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान कुछ व्यक्तियों पर हमला किया गया, जिससे उन्हें चोटें आईं। उपर्युक्त दोनों मामलों की तथ्यात्मक परिस्थितियाँ वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतः भिन्न हैं। वर्तमान मामले में आरोप यह है कि याचिकाकर्ता मूल्यवान प्रतिभूति के कूटकरण के अपराध में संलिप्त है। ऐसे मामलों में विधिक स्थिति वही है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरिहर प्रसाद आदि बनाम बिहार राज्य**[4] के मामले में प्रतिपादित की गई है, जिसमें यह कहा गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख सहपठित धारा 409 के अंतर्गत दण्डनीय आपराधिक षड्यंत्र के अपराध तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) का संबंध है, उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में वर्णित प्रकृति का नहीं कहा जा सकता। संक्षेप में, किसी लोक सेवक का अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपराधिक षड्यंत्र में प्रवृत्त होना या आपराधिक अवचार करना उसके कर्तव्यों का भाग नहीं

[4] (1972)3 SCC 89

है। अतः धारा 197 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति का अभाव कोई बाधा नहीं है।"

उक्त दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पश्चातवर्ती निर्णय **केरल राज्य बनाम पद्मनाभन नायर**[5] में पुनः दोहराया गया। **(हरिहर प्रसाद)** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों **एस.आर. मुन्निपल्ली बनाम बंबई राज्य**[6] तथा **अमरिक सिंह बनाम पेप्सू राज्य**[7] का भी उल्लेख किया। यह स्थापित विधिक सिद्धांत आगे चलकर **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एम.पी. गुप्ता**[8] के निर्णय में पुनः पुष्ट किया गया। अधिक नवीन निर्णय **परस नाथ सिंह** *(पूर्वोक्त)* में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त विधिक स्थिति की पुनः पुष्टि की गई। यह विचार रखते हुए कि भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 467, 468 तथा 471 मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि के कूटकरण, प्रवंचना हेतु कूटरचित तथा फ़र्ज़ी दस्तावेज को वास्तविक के रूप में प्रयोग करने से संबंधित हैं, यह घोषित किया गया कि ऐसे अपराध लोक सेवक के शासकीय कर्तव्यों का कोई भाग नहीं हो सकते और ऐसे मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति का अभाव कोई बाधा नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में, इस न्यायालय के लिए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि कथित अपराध के लिए अभियोजन के संदर्भ में याचिकाकर्ता धारा 197 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संरक्षण का अधिकारी है और वैध अभियोजन स्वीकृति के अभाव में कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता।

9. मुझे याचिका में कोई गुण-दोष परिलक्षित नहीं होता। अतः याचिका ख़ारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार ख़ारिज की जाती है।

---

[5] (1999)5 SCC 690
[6] 1955 (1) SCR 1177
[7] 1955 RD-SC 9
[8] (2004)2 SCC 349

10. अधीनस्थ न्यायालय से मंगाए गए अभिलेख तत्काल वापस भेजे जाएँ।

सही/-

श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ANURAG AGRAWAL